

149188

2275 09/11/2013

(vii) - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य करता समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) - उक्तानुसार स्वीकृत आगमनों में एन०पी०बी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी इन्फ्रिस्ट्रक्चर आदि मयों के सम्बन्ध में प्रभावशालक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कें तथा संवृद्धि पर पूर्वांगत परिव्यय-04 निमा तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़कें/भवन/संवृद्धि आदि हेतु भूमि अधिग्रहण--00-24 पूर्व निर्माण कार्य में निम्नीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जाएगा।

(vi) - स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायर्सनेट काल-2008 एवं उक्त के विषय में समग्र-समग्र पर निर्णय समस्त विद्या निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बजट में अनुदान के निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।

(v) - आगमन में दिन मर्यादित हो जायेंगे। स्वामीदास कराल समय पालन करना सुनिश्चित करें। मर में व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) - कादं करानं से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य गजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचालित दफ्तरी/विहिदियों के अंतर्गत ही कार्य करने से निर्माण कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

अज्ञान के कारण हमें यह प्रतीत होता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है, जबकि वास्तव में हमें केवल अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है।

—(III)

गो दरे खैद्यल आक डेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से नीचे गई हो, की स्वीकृति पर निम्नलिखित

(ii) - आगमन में उल्लिखित दरों का विवेक विभाग के अधीन आगमन अधिनियम के अन्तर्गत है।

[illegible]

—(1) ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ୨୦୧୫ ମସିହା ଯାଏଁ ଲାଗୁ ରହିବ।

है ₹ 2.40 लाख (२ वी लाख चालीस हजार मात्र) की छनवाही, यह है। आपके निर्वहन में रखे जाने की

करोड़ बायल लाख पियानो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु राज्य विधीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कृषि 10 लाख 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कृषि 10 लाख 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कृषि 10 लाख

समस्त पदार्थों का भार, उपलब्ध कराये गये प्रत्यक्ष आगोश, निम्नो कुल लम्बाई 132.75 किमी + 08 मी तथा लम्बाई ₹ 1468.00 लाख है, पर टी०१०००० बिना द्वारा अधिग्रहण पाई गई लम्बाई ₹ 1467.95 लाख (अर्थात्) लम्बाई

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मई पर कर कटने का निर्देश हुआ है कि नए आवेदन माहों/क्योंकि
नॉमिनीडो, पौड़ी/अनाडा द्वारा लगाया जाये के विभिन्न निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमाण की स्वीकृति देते

13

तारीख:- विनियम वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रगत प्रत्येक की प्रगति का विवरण एवं विनियम वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रगत प्रत्येक की प्रगति का विवरण

12 वा. प्र. 22-30 (1933) दिनांक: 22-30 (1933)

[illegible]

[Handwritten signature]

Handwritten: ১৯৭৩/৭৪
১৯৭৩/৭৪

[illegible]

संख्या:- 5927/11112/13-31(गोपनीय)/2017

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दृष्टिकोण संश्लेषित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुमति की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक संचालित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना/स्वीकृत कार्य हेतु अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कार्याई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मिलव्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(xiii)- उक्त 24 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सड़कों पर पूर्णतः परियोजना-04 जिना तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय सं0-03 राज्य सड़क-02 तथा निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नाम से जाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अध्यासकीय संख्या- 535(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 22 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या:- (1)/111(2)/13-31(गोआ0)/2013 तद्विनिक।

प्रतिनिधि निर्माता/स्वीकृत को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महादेवकार (लेखा प्रथम), आगरा मोरस विडिंग, मावरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सहायक निर्माता/स्वीकृत।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सहायक मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निर्देशक, राष्ट्रीय योजना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय धौबंगा अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड।
9. सहायक अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड।
10. सहायक अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. उत्तराखण्ड।
11. गाई बुक।

Photo Copy Attach
Assistant Engineer
C.D. P.W.D. Pauri

(महिमा)
असु सचिव

आज्ञा से,

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
प्रमोदी सचिव

14314

श्रीवतीदेवी, संख्या:- 5927 / 111(2) / 13-31(गोआ 10) / 2013 दिनांक 22-नवम्बर, 2013 को प्राप्तक

[illegible]

शासनादेश संख्या:- 5927 / 111(2) / 13-31(गोआ10) / 2013 दिनांक 22-नवम्बर, 2013 का संलग्नक

20	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-238/2013 के अन्तर्गत जलपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरीला में खूनी पुरीला नौगांव मोटर मार्ग से पुरीला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.75 + 48 mt	131.15	उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य। ₹ 6.95 + ₹ 124.20	0.10
21	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-237/2013 के अन्तर्गत जलपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरीला में हुडौली से विणगदेरा खेला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	31.53	उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य। ₹ 2.49 + ₹ 29.04	0.10
22	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-244/2013 के अन्तर्गत जलपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरीला के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.09	उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य। ₹ 5.49 + ₹ 22.50	0.10
23	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-232/2013 के अन्तर्गत जलपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में मोरी-सालरा मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से सान्ना खेला, मोरी (आशकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7.00	123.27	उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य। ₹ 7.91 + ₹ 115.36	0.10
24	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-246/2013 के अन्तर्गत जलपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में किरण-धुनिया-धौरिखुआर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	52.50	उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली से कराई जाने वाले कार्य। ₹ 4.98 + ₹ 47.52	0.10
	योग:-	132.75 + 08 brg	1462.95		2.40

(कुल ₹ बी लाख पालीस हजार मात्र)

116 p.1
(महिमा)
अनु संविद

Photo Copy Attisid
Assistant Engineer
E.D. P.W.D. Pauri